प्रेस विज्ञप्ति 18.12.2025

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ़ उत्तर प्रदेश एवं कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन, कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ़ जीएसटी ट्रिब्यूनल प्रैक्टिशनर्स एवं नॉलेज पार्टनर धर्मेंद्र अकादमी ऑफ़ जीएसटी द्वारा "जीएसटी के विवादित बिंदुओं एवं जीएसटी अधिकरण पीठ में अपील दाखिल किये जाने की प्रक्रिया " विषय पर टैक्स गोष्ठी का आयोजन सर पदमपत सिंघानिया ऑडिटोरियम, सिविल लाइन्स, कानपुर में किया गया |

उद्धघाटन सत्र में गोष्ठी की विषय वस्तु पर सभी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाश डाला गया |
गोष्ठी की अध्यक्षता चैम्बर की जीएसटी समिति के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता द्वारा किया गया | गोष्ठी का संचालन सीए संकल्प भल्ला द्वारा किया गया | आभार शरद सिंघल द्वारा दिया गया |

जीएसटी विवाद के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए पुणे से पधारे मुख्य-वक्ता सीए प्रीतम माहुरे ने ये विचार व्यक्त किया की जीएसटी के 8 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद अभी भी विभाग एवं कारोबारियों के मध्य विवाद समाप्त नहीं हो पा रहे है | ईस ऑफ़ डूइंग बिज़नेस कारोबारी एहसास नहीं कर पा रहा है | वस्तुओं के कर की दरों के वर्गीकरण में विवाद उत्पन्न हो रहे है | इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों को तकनीकी आधार पर अस्वीकार किया जा रहा है | रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में विवाद है | माल परिवहन सचल दल द्वारा लिपिकीय व तकनीकी त्रुटि पर वाहन रोके जा रहे है | कर की चोरी की मंशा ना होने पर भी अनावश्यक अर्थ दंड जमा करने के बाद ही माल रिलीज़ किया जा रहा है | सरकार को कानून, नियमों एवं औपचारिकताओं में जटिलताओं को दूर कर आसान प्रक्रिया निर्धारित करना होगा | तभी सही मायने में कारोबार भी बढ़ेगा | राजस्व की सही प्राप्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी |

दूसरे तकनीकी सत्र में जोधपुर से पधारे सीए अर्पित हल्दिया ने जीएसटी अधिकरण पीठ में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक बताया | मार्च, 2026 तक पारित किये गए प्रथम अपील निर्णय के विरुद्ध अपील 30 जून, 2026 तक दाखिल की जा सकेगी | अपील ऑनलाइन दाखिल होगी | समस्त आदेश एवं कागजात, अपील आधार अंग्रेजी में होंगे | हिंदी में पारित आदेशों का अनुवाद अंग्रेजी में दाखिल किये जायेगा | अधिकरण में कर की विवादित धनराशि का 10 प्रतिशत प्री-डिपाजिट प्रथम अपील में जमा की गई प्री-डिपॉजिट के अतिरिक्त रूप में जमा करना होगा | कोर्ट फीस न्यूनतम 5,000/- एवं अधिकतम 25,000/- भी जमा की जाएगी | प्रार्थना पत्रों को भी कोर्ट फीस के साथ दाख़िल किया जायेगा | प्रक्रिया जटिल निर्धारित की गयी है |

गोष्ठी में मुख्य रूप से चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष बी के लाहोटी, सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव, सीए छवि जैन, सीए शिवम ओमर, सुनील त्रिवेदी, प्रदीप कुमार द्विवेदी, मनीष श्रीवास्तव, एस.पी. सिंह, आई.डी., भाटिया, हरी ओम गुप्ता, एस.एस. निगम, पंकज श्रीवास्तव, अखिलेश तिवारी, विनीत रूंगटा, नितिन ओमर, ऋतुप्रिया चौधरी, मो. सुहैल एवं आदि गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे |